कार्य-जगत–शृंखला 31

व्यवसाय के रूप में हिन्दी

केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान,
(रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय),
श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार,
पूसा, नई दिल्ली-110 012.

आभार–ज्ञापन

निम्नलिखित अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं:—

(1) डा० महेश चन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
राजभाषा विभाग
लोक नायक भवन
नई दिल्ली-110 003

(2) निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
आर० के० पुरम
नई दिल्ली-110 002

(3) निदेशक
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
राजभाषा विभाग
सी० जी० ओ० काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110 003

परियोजना दल

(1) श्री सुरेश चन्द्र
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

(2) डा० रश्मि अग्रवाल
अनुसंधान अधिकारी

(3) श्री एस० पी० जोशी
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

(4) श्री एल० एम० तलवाड़
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

(5) आर० के० अग्निहोत्री
प्रूफ रीडर

(6) अनीता सैनी
प्रूफ रीडर

1—288 DGE&T/ND/91

प्रस्तावना

भारत संघ की राजभाषा होने के कारण हिन्दी का भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान है । केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इसके बढ़ते हुए प्रयोग के कारण इसमें रोजगार की वहुत अधिक संभावनाएं हैं । इसलिए नौकरी प्राप्त करने वालों के लाभ के लिए इन संभावनाओं को अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता अनुभव की गई है ।

इस प्रकाशन में दी गई सूचना में रोजगार में हिन्दी का विस्तार-क्षेत्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं, भर्ती प्रक्रिया और सेवापूर्ति रोजगार के प्रति दृष्टिकोण और स्वरोजगार की संभावनाएं आदि को शामिल किया गया हैं ।

संबंधित संगठनों/विभागों के सक्रिय सहयोग द्वारा विस्तत सूचना को संक्षेप में देने का प्रयास किया गया है ।

इसमें सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है ।

पूसा, नई दिल्ली–110 012
तिथि 26 अक्टूबर, 1990

बी० वी० एल० एन० राव
निदेशक
केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान
और प्रशिक्षण संस्थान

व्यवसाय के रुप में हिन्दी

1.0 भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है। संविधान में संसद को हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा को भी निरन्तर प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। राजभाषा अधिनियम 1963 में भी हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरन्तर प्रयोग की अनुमति दी गई है। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कुछ विशिष्ट प्रयोजनों जैसे कि संकल्प, सामान्य आदेश नियम, अधिसूचनाएं प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले कागज पत्र, लाइसेंस, परमिट, टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म संविदाएं और करारों आदि के लिए प्रयोग किया जाए। राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने राजभाषा नियमावली 1976 बनाई। उक्त अधिनियम और नियमावली की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :--

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों अर्थात मंत्रालयों, विभागों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, आयोग के कार्यालयों, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त समितियों या अधिकरणों और केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या उनके द्वारा नियंत्रित निगमों या कंपनियों के कार्यालयों पर लागू होते हैं।

(2) केन्द्र सरकार किसी कार्यालय से क्षेत्र "क" (हिन्दी भाषी राज्य बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ-शासित प्रदेश, और क्षेत्र "ख" गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़) के किसी भी राज्य संघ-शासित प्रदेश या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिन्दी में ही भेजे जाएंगे।

(3) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच किया जाने वाला पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जा सकता है ।

(4) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगे ।

(5) केन्द्र सरकार का प्रत्येक कर्मचारी फाइलों पर कार्यवृत्त या टिप्पणियाँ लिखने के लिए अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग कर सकता है ।

(6) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियम-पुस्तकें संहिताएं और अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाएगा । सभी फार्म और रजिस्टरों के शीर्षक नाम-पट्ट साइन बोर्ड, पत्र-शीर्ष, लिफाफों और लेखन सामग्री की अन्य वस्तुओं पर मुद्रण के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा ।

1.1 यद्यपि संविधान में हिन्दी सहित सभी 15 भारतीय भाषाओं को सरकारी दर्जा प्रदान किया गया है किन्तु हिन्दी को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है । इसे (हिन्दी को) संघ की भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसका प्रयोग राष्ट्र भाषा के रूप में किया जाता है यह केन्द्र और राज्यों के बीच पत्राचार के प्रयोजनों के लिए कुछ सीमा तक भारत संघ की संपर्क भाषा का काम कर रहीं है और यह आशा की जाती है कि यथासमय यह कार्य पूरी तरह करना आरंभ कर देगा । अत: हिन्दी को पूरे देश में शिक्षा और प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाकर हिन्दी भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है । यह भारत के लगभग सभी भागों में बोली और समझी जाती है ।

1.2 पुरानी आधुनिक और जनजातीय भाषाओं का हित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना सरकार की नीति रही है । शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त शैक्षिक शब्दकोशों, शब्दावली, पैन भारतीय शब्दावली, मूल विज्ञानों, मानविकी शब्दावली, सामाजिक विज्ञान अनुपयुक्त विज्ञान में हिन्दी अंग्रेजी शब्दावलियों और कृषि, इंजीनियरी, पशु-चिकित्सा विज्ञान, वानिकी चिकित्सा विज्ञान तथा परिचर्चा पर चिकित्सा और औषध विज्ञान की विश्वविद्यालयों स्तर की पुस्तकें तैयार करने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

स्कूलों कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि में तथा स्वैच्छिक संगठनों में हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं

1.3 हिन्दी स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुकी है और यह अब धीरे-धीरे अपने उस शासन पर प्रतिष्ठित हो रही है जिसकी वह अधिकारिणी है । हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदान की गई सुविधाओं के परिणामस्वरूप अब यह लगभग सभी राज्यों के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी न किसी स्तर की शिक्षा भी भारत में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है ।

1.4 हिन्दी को बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है । यह दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीपों की भी राजभाषा है । अन्य राज्यों में हिन्दी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्वानों की इच्छा के अनुसार हिन्दी को एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में बढ़ाने की व्यवस्था की है ।

1.5 दक्षिण भारत में विद्यालयों और कालेजों में हिन्दी व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। हिन्दी को पढ़ाने के लिए तमिलनाडु के विद्यालयों और कालेजों में सुविधाएं विद्यमान हैं । दक्षिणी राज्यों में भी अनेक स्वैच्छिक और किन्हीं स्थानों पर सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन हैं जो कि हिन्दी की उन्नति प्रचार-प्रसार और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं । उनमें से कुछ हैं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद; मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद; बंगलूर; केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम; कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, बेंगलूर; कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलूर आदि। इसी प्रकार हिन्दी की उन्नति और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रहे संगठन भारत के उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है । जैसे कि असाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी; उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथ पुरी; गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; हिन्दी विद्यापीठ, देवधर (बिहार); राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा; सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति, राजकोट; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद; मिजोरम हिन्दी प्रचार

सभा, ऐजावल; बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई; महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूणे; मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल; हिन्दुस्तान प्रचार सभा, बम्बई; हिन्दी प्रचार-प्रसार संस्थान, जयपुर; प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद; अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली। ये संगठन हिन्दी शिक्षण विद्वानों को हिन्दी की पुस्तकों की निरन्तर आपूर्ति, त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन और प्रमाण पत्र को प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं । ये परीक्षाएं मान्यता प्राप्त हैं । उदाहरण के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा की जाने वाली प्रवेशिका परीक्षा एस० एस० एल० सी० के बराबर होती है विशारद् बारहवीं के और प्रवीण स्नातक के बराबर होती है । इसी प्रकार अन्य संगठनों द्वारा भी एस० एस० एल० सी० बारहवीं और स्नातक स्तर की अन्य परीक्षाएं ली जाती हैं ।

हिन्दी भाषा टंकण (टाईपिंग) और आशुलिपिक का सेवाकालीन प्रशिक्षण

1.6 केन्द्र सरकार के जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण टंकण और आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली, बम्बई, जबलपुर, कलकत्ता और मद्रास में स्थित हिन्दी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे हैं । इस समय हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए 76 पूर्णकालिक और 61 अंशकालिक और हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के लिए 31 केन्द्र (22 पूर्णकालिक और 9 अंशकालिक) कार्य कर रहे हैं ।

1.6.1 हिन्दी शिक्षण योजना के अतिरिक्त गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान भी स्थापित किया गया है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(i) केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि में नए भर्ती हुए कर्मचारियों का हिन्दी भाषा हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में पूर्णकालिक गहण प्रशिक्षण देना ।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों और अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना। अधिक बिवरण के लिए परिशिष्ट 'क' देखें।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1.6.2 निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :--

(1) राजभाषा सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों; कंपनियों, उद्यमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सहायक निदेशकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए पांच दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(2) राजभाषा सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों कंपनियों उद्यमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के वरिष्ठ और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए पांच दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(3) 25 दिन का प्रवोध पाठ्यक्रम।

(4) 20 दिन का प्राज्ञ पाठ्यक्रम।

(5) हिन्दी टंकण के लिए 40 दिनों का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(6) आशुलिपि हिन्दी का 80 दिनों का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(7) "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" कार्यक्रम के अंतर्गत सहांयक निदेशकों (हिन्दी) सहायक निदेशकों टंकण आशुलिपि और प्राध्यापकों के लिए विभिन्न अवधियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(8) केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में नियुक्त शिक्षण और प्रशासनिक संस्थाओं के प्राध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण में विशेष पूर्णकालिक पाठ्यक्रम।

(9) सचिवालयीन प्रशिक्षण तथा प्रवंध संस्थाओं के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के लिए भाषा पाठ्यक्रम।

(10) अवर सचिवों/उपसचिवों और उच्च अधिकारियों के लिए तीन दिन का अभ्यास कार्यक्रम। विवरण के लिए परिशिष्ट "ख" देखें।

हिन्दी सीखने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन

सुविधाएं

1.6.3 (1) प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

(2) पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क दी जाती हैं और फिर वापिस नहीं ली जाती।

(3) कक्षाएं कार्यालय समय में ही लगाई जाती हैं।

(4) कक्षाओं में भाग लेने के लिए किए गए यात्रा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(5) परीक्षा में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/वास्तविक खर्चा दिया जाता है।

(6) परीक्षा के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

(7) राजपत्रित अधिकारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए अलग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(8) निजी परीक्षार्थी के रूप में भी परीक्षा देने की अनुमति दी जाती हैं।

(9) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा विभाग), रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा भी हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(10) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (शिक्षा विभाग), सर्वोदय इन्क्लेव, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली द्वारा गहन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(11) निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर सेवा पंजी में भी प्रविष्टि की जाती है।

(12) नकद पुरस्कारों तथा एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर किसी प्रकार का आय-कर नहीं लगाया जाता।

प्रोत्साहन

1.6.4 बारह महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि की राशि बराबर का वैय-क्तिक वेतन

(क) प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है ।

(ख) उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण या प्रबोध अंतिम अपेक्षित परीक्षा निर्धारित की गई हैं ।

(ग) इन सभी राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण या प्राज्ञ अंतिम अपेक्षित परीक्षा है ।

(घ) जहां राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र जार्य नहीं कर रहे हैं वहां स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित मैट्रिक के समतुल्य या इसके उच्चतर स्तर की हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है ।

नकद पुरस्कार

(2) **नकद पुरस्कार** (विशिष्टता के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए)

प्रवीण और प्राज्ञ	प्रबोध	नकद पुरस्कारों के लिए पात्रता
रु०	रु०	
450	300	70% या अधिक अंक
300	150	60% या अधिक अंक
150	75	55% या अधिक अंक

(3) एकमुश्त सरकार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)

(क) प्रचालन कर्मचारियों और उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थान पर नियुक्त हैं जहां हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं ।

प्राज्ञ	प्रवीन	प्रबोध
300	250	250

(ख) जहां राजभाषा विभाग के हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं वहा के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक के समतुल्य या उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर—300।

1.7 अनुवाद में प्रशिक्षण की सुविधाएं

राजभाषा अधिनियम के अनुसार कुछ विशिष्ट दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा जैसे कि सामान्य आदेश नियम अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखे जाने वाले सरकारी कागज-पत्र, लाइसेंस परमिट टेंडर नोटिस टेंडर फार्म संविधाएं और करार आदि। राजभाषा नियमों के अनुसार सभी नियम-पुस्तकों संहिताओं और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषी रूप से साइक्लोस्टाइल और मुद्रित कराया जाएगा। यह संसद के कार्य में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के विद्यालय स्तर की अनेक मानक पुस्तकों हिन्दी माध्यम से शिक्षण देने वाले विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रयोग के लिए हिन्दी में अनुदित और प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रकाशित किए जा रहे अच्छे नवीनतम वैज्ञानिक साहित्य का भी हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

इन सबके लिए लम्बे समय तक पर्याप्त मात्रा में अनुवाद कार्य करने की आवश्यकता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में भविष्य में किए जाने वाले अनुवाद कार्य की प्रमात्रा को ध्यान में रखते हुए अनेक विश्वविद्यालयों और संगठनों ने अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा/पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं उसमें से कुछ इस प्रकार हैं:—अनुवाद कार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, अनुवाद में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ अनुवाद में एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिन्दी में प्रशासनिक प्रारूपण और रिपोर्टिंग हिन्दी विभाग कोचीन विश्वविद्यालय कोचीन, अनुवाद तथा सचिवालयीन अभ्यास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिन्दी विभाग,

कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट, अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद सिद्धान्त में और अभ्यास पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली, एम० ए० के पश्चात अनुवाद सिद्धांत और अभ्यास में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हिन्दी अनुवाद में सचिवालयीन अभ्यास और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, केरल हिन्दी पत्राचार सभा, त्रिवेन्द्रम, एम० ए०, हिन्दी के एक भाग के रूप में अनुवाद विज्ञान, पूणे विश्वविद्यालय पूणे। अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, अनुवाद सिद्धान्त और अभ्यास में डिप्लोमा, आगरा विश्वविद्यालय आगरा, हिन्दी में अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।

1.7.1 अनुवाद में सेवाकालीन प्रशिक्षण

हिन्दी में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दयोजना और शब्दावली में एकरूपता लाने के लिए, साथ ही इसे सरल और सुबोधगम्य बनाने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग में अनुवाद कला में प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है। यह प्रशिक्षण उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि अपने संबंधित विभागों, संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, आदि में अनुवाद कार्य से संबंधित हैं। असांविधिक प्रकार के प्रक्रियात्मक साहित्य का अनुवाद करने के अतिरिक्त, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ऊपर बताए गए कर्मचारियों के लिए अनुवाद में तीन महीने का पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ किए गए हैं जो कि पांच कार्य दिवसों की अवधि के होते हैं। अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली में मुख्यालय में तथा बम्बई, बेंगलूर और कलकत्ता के उप-केन्द्रों में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चला रहा है ।

1.8 हिन्दी के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार ने संविधान राजभाषा अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों और हिन्दी में कार्य से संबंधित आदेशों का अनुपालन करने के साथ ही साथ संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की स्थापना की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के अधीन हिन्दी

शब्दकोशों और साहित्य के अनुसंधान विकास और उन्हें तैयार करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई है और विभिन्न विषयों पर जैसे कि मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा अंतरित आदि के लिए हिन्दी में शब्दावली तैयार करने और उसे मानकीकृत करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दा-वली आयोग की स्थापना की गई है। पुनः जैसा कि पहले बताया जा चुका है केन्द्र सरकार के कार्यालयों की संहिताओं नियम पुस्तकों और अन्य असांविधिक प्रक्रियात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए राजभाषा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की गई है।

1.8.1 स्वैच्छिक संगठन

जैसा कि अन्यत्र बताया गया है हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न प्रमुख अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठन हैं जैसे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली। इनके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में राज्य स्तर पर अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में हम पिछले अनुच्छेदों में विस्तार से वता चुके हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली एक अन्य स्वैच्छिक संगठन है जो कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए साहित्य प्रकाशित करता है। वे हिन्दी टंकण, हिन्दी आशु-लिपि, निवन्ध लेखन, टिप्पण और प्रारूपण में अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहे हैं।

1.9 रोजगार के अवसर

1.9.1 जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों, जैसे कि मंत्रालयों, विभागों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित निगमों या कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्व निर्दिष्ट दस्तावेजों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी किया जाएगा

और सरकारी लेखन सामग्री की सभी मदें दोनों भाषाओं में मुद्रित की जाएंगी । केन्द्र सरकार के कार्यालयों से राज्य सरकारों और हिन्दी भाषी राज्यों में और गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में जनता से किया जाने वाला अधिकांश पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होगा । तदनुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों/सहायक निदेशकों (हिन्दी) के अनेक पद हैं। अनेक मंत्रालयों/विभागों में अनुवादकों और सहायक निदेशकों के अतिरिक्त, उपनिदेशक (राजभाषा) और निदेशक (राजभाषा) के वरिष्ठ स्तर के पद भी हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और उनकी शाखाओं में प्रबंध (हिन्दी) उपप्रबंधक (हिन्दी), हिन्दी अधिकारी, हिन्दी सहायक, हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टंककों, लिपिकों के पदों के लिए भी व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार केन्द्र सरकार के स्वामित्व के अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित निगमों और कंपनियों में भी इन पदों का सृजन किया गया । हिन्दी भाषी राज्यों में विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने के कारण इस विद्यालयों और कालेजों और विश्व-विद्यालयों में हजारों हिन्दी पढ़ाने वाले और हिन्दी जानने वाले अध्यापक काम करते हैं । लगभग सभी राज्यों के विभिन्न विद्यालयों में भी हिन्दी पढ़ाई जा रही है। पूरे देश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में विश्व-विद्यालय कालेज के स्तर पर हिन्दी पढ़ाने के लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं। परिणामतः हिन्दी में योग्यता प्राप्त अनेक अध्यापक हिन्दी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं । विदेशों में भारतीय मिशनों में चलाई जाने वाली हिन्दी की कक्षाओं में भी हिन्दी व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है और इनमें से कुछ मिशनों में हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों के पद भी हैं । सार रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी के अध्यापन और ज्ञान से पूरे देश में रोजगार के लिए अवसरों से स्पष्ट हो रहा है। इनमें से कुछ अवसरों का निम्नलिखित अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है।

1.9.2 विभिन्न पदों के लिए की जाने वाली भर्ती, जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से हिन्दी का प्रयोग शामिल है, नियमावली की अपेक्षानुसार, स्थिति अनुसार की जाती है । सामान्यतः केन्द्र सरकार के कार्यालयों में समूह "ग" और समूह "ख" के अराजपत्रित पदों के लिए जैसे कि हिन्दी अनुवादक, हिन्दी अध्यापक, आशुलिपिक/लिपिक आदि के लिए भर्ती, उन विभागों और अधिकारियों की ओर से कर्मचारी चयन

आयोग द्वारा की जाती है जहां पद खाली होते हैं की जाती है । राष्ट्रीय-कृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में इसी प्रकार के पदों के लिए भर्ती उनकी संबंधित भर्ती एजेन्सियों के द्वारा या विज्ञापनों के माध्यम से की जाती है । मंत्रालयों/विभागों और उसके संलग्न कार्यालयों में मौजूदा समूह "ख" के राजपत्रित पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है । इनमें से कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया उदाहरण के रूप में नीचे दी गई है :—

(I) हिन्दी प्राध्यापक

राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा समय-समय पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों और रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आयोजित की जाती हैं । हिन्दी प्राध्यापकों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कक्षाओं का आयोजन और संचालन करना होता है । केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयास करने का कार्य भी प्राध्यापक ही करते हैं । सफल उम्मीद-वारों को देश के विभिन्न भागों में चलने वाले हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्रों में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है । पात्रता, शर्तें और परीक्षा के संबंध में अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं :—

शैक्षिक योग्यताएं :

(क) अनिवार्य

डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर (एम० ए०)

(ख) वांछनीय

(i) हिन्दी के अतिरिक्त अन्य किसी एक या अधिक आधुनिक भाषाओं में प्रवीणता ।

(ii) हिन्दी में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव या शिक्षा स्नातक की डिग्री ।

(iii) अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का अनुभव या भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञान ।

(ग) आयु-सीमा

21 से 30 वर्ष

(घ) वेतनमान

1640–60–2600–द०रो०–75–2900 रु०

(ङ) परीक्षा शुल्क

28 रु० (अनु० जाति/अनु० जनजाति या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है)

(च) पदोन्नति के अवसर

हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक के सभी पद पात्र हिन्दी प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। सहायक निदेशक भी हिन्दी शिक्षण योजना में उपनिदेशक के पद के लिए यथा समय पात्र हो जाते हैं।

(II) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए पूरे देश में केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक का कार्य करते हैं। सामान्यत: उनका चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। चयन की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है :—

(क) शैक्षिक योग्यता

हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी।

(ख) परीक्षा शुल्क रु० 28 (अनु० जाति/अनु० जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं)

(ग) वेतनमान : 1400–2300

(घ) परीक्षा के विषय : —(i) सामान्य परीक्षा, (ii) सामान्य बुद्धि परीक्षा, (iii) भाषा परीक्षा, (iv) अनुवाद परीक्षा।

(III) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

परीक्षा (वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवादक)

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार की केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड IV और V के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के रिक्त स्थानों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है । इन अनुवादकों से सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संलग्न कार्यालयों में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है । परीक्षा का विवरण इस प्रकार है :—

(1) ग्रेड V के लिए (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक)

(क) अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अंग्रेजी स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी ।

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो और स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी ।

या

हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषयों के साथ स्नातक की उपाधि या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो ।

और दूसरा मुख्य विषय तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

(ख) आयु सीमा—28 वर्ष से अधिक नहीं ।

(ग) परीक्षा शुल्क—केवल 28 रु०

(घ) परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र—(i) अनुवाद परीक्षा
(ii) सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी

(ङ) वेतनमान—1400–2600

(2) ग्रेड IV के लिए (वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक)

(क) **शैक्षिक योग्यताएं :—**

वही, जो ग्रेड V (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों) के लिए हैं और इसके साथ हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का 2 वर्ष का अनुभव।

(ख) **आयुसीमा**—30 वर्ष

(ग) **परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र :**—(i) अनुवाद परीक्षा

(ii) सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी

(iii) निबन्ध और सार लेखन

(घ) **वेतनमान**———1640–2900 रु०

पदोन्नति के अवसर :—

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के 75% पद पात्र कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों में से ही पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक निदेशकों के 50% पद पात्र वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक निदेशक उसी सेवा में उपनिदेशक के लिए और उपनिदेशक निदेशक के पद पर पदोन्नति के पात्र होते हैं।

(3) ग्रेड III के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा)

सहायक निदेशक के पद केन्द्र सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भाग लेने वाले अनेक संलग्न कार्यालयों में मौजूद हैं। सहायक निदेशकों के 50% रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। आयोग समय-समय पर इन पदों को विज्ञापित करता है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, बाकी 50% पद विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यताएं इस प्रकार हैं :—

शैक्षिक योग्ताएं

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम द्वारा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम द्वारा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी।

(ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य और/या अंग्रेजी से हिन्दी में या हिन्दी से अंग्रेजी में अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद कार्य

या

हिन्दी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता में 5 वर्ष का अनुभव ।

(ख) आयु : 35 वर्ष

(ग) वेतनमान : 2000–3500 रु०

(iii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद

राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा नियम पुस्तिकाओं और संहिताओं आदि के अनुवाद के लिए अनेक अनुवादकों और पुनरीक्षकों (अनुवाद अधिकारियों) की भर्ती की जाती है । अनुवाद ब्यूरो

नई दिल्ली, बेंगलूर, बम्बई और कलकत्ता में सेवाकालीन अनुवाद प्रशिक्षण भी देता है । अतः केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भर्ती किए गए अनुवादकों को ब्यूरो में अनुवाद अधिकारियों/प्रशिक्षण अधिकारियों और उच्चतर पदों पर पदोन्नति के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं ।

(iv) हिन्दी अनुवादक

दस्तावेजों, व्याख्यानों, लेखों, पुस्तकों, विवरणिकाओं और पत्रिकाओं का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद करने और इसकी देख रेख करने के लिए भारत सरकार के प्रत्येक विभाग, बैंकिंग संस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों और प्राधिकरणों में हिन्दी अनुवाद एक महत्वपूर्ण पद है । भर्ती के लिए उनकी शैक्षिक योग्यताओं में सामान्यतः हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी होनी चाहिए और किसी नियमित संस्था से अनुवाद में डिप्लोमा होना चाहिए । इसके वेतनमान हर कार्यालय में भिन्न-भिन्न होते हैं । कुछ उपक्रमों और कार्यालयों में इन अनुवादकों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए हिन्दी अधिकारियों के भी पद हैं ।

निजी फर्मों में अंग्रेजी/फ्रेंच/जर्मन/इटालियन/पोलिश/चीनी/रूसी का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए भी अनुवादकों की आवश्यकता होती है। निजी फर्मों में मासिक परिलब्धियां कार्य के प्रकार और संगठन की स्थिति पर निर्भर करती हैं । हिन्दी और अंग्रेजी की जानकारी के अतिरिक्त, जिसका होना सामान्यतया अनुवादक के लिए आवश्यक है यहां उससे संबंधित विदेशी भाषा में डिप्लोमा की अर्हता प्राप्त होने की और दिए गए कार्य का सुविधापूर्वक लिप्यंतरण करने की क्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए पर्याप्त अनुभव होने की भी अपेक्षाएं की जाती हैं ।

1.9.3 वरिष्ठ/कनिष्ठ भाषा अध्यापक (हिन्दी)

भाषा अध्यापक (हिन्दी) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाते हैं । वे अध्यापक जो कि माध्यामिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, भाषा अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक होते हैं, और उनका वेतनमान 1400–2600 रु० होता है । वरिष्ठ अध्यापक स्नातकोत्तर अध्यापक के 1640–2900 रु० के वेतनमान में काम करते हैं। वे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनकी भर्ती खुले विज्ञापन/रोजगार कार्यालयों आदि के माध्यम से की जाती है ।

स्नातकोत्तर अध्यापक के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं में हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ही बी० एड ० डिग्री या कुछ अनुभव शामिल हैं । सामान्यत: एक विद्यालय में एक से अधिक भाषा अध्यापक होते हैं । सभी केन्द्रीय विद्यालयों, सरकारी मंत्रालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भाषा अध्यापकों के पद होते हैं उन्हें सामान्यत: शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही भर्ती कर लिया जाता है। अनेक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी हिन्दी पढ़ाने के लिए अध्यापकों (प्राध्यापकों और प्रचारकों) को भर्ती किया जाता है ।

1.9.4 पत्रकारिता

हिन्दी भाषा/देशी भाषाओं के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और साहित्यिक पत्रिकाओं में संपादकों, उप संपादकों, सहायक संपादकों, संवाददाताओं और रिपोर्टरों के पद होते हैं । उनके पास कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि में स्नातक की उपाधि की शैक्षिक योग्यताओं के साथ ही ऐसी योग्यताओं अर्थात् पत्रकारिता संचार में डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए । उन्हें व्यापक अर्थों में पत्रकार कहा जाता है और उनके पारिश्रमिक और वेतन आदि के संबंध में उन पर बछावत पत्रकार वेतन बोर्ड का पंचाट लागू होता है जो पत्रकारों तथा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के मालिकों के लिए बाध्यकारी है ।

"समाचार भारती" और हिन्दुस्तान समाचार नामक हिन्दी समाचार एजेन्सियों के दो मुख्य संगठन जो कि देश और विदेशों में समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के लिए विदेश के राष्ट्रीय/स्थानीय समाचारों और समाचार फीचरों को संप्रेषित करते हैं । इन एजेन्सियों के पत्रकार कर्मचारियों के पास पहले वर्णित किए अनुसार भी इसी प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं अनुभव होता है और वे भी पत्र-पत्रिकाओं के समान पदों पर कार्य करते हैं । पी० टी० आई० और यू० एन० आई० समाचार एजेन्सियां भी भाषा और यूनिवार्ता के रूप में अपनी हिन्दी/भारतीय भाषाओं की समाचार सेवाएं चला रहा है जो कि हिन्दी पत्रकारों को भी नियुक्त करते हैं।

1.9.5 आकाशवाणी/दूरदर्शन

दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास भी अपने हिन्दी के संपादकीय बोर्ड, हिन्दी उद्घोषक और हिन्दी समाचार वाचक, समाचार रिपोर्टर'

उपसंपादक, संपादक सहायक, मुख्य उप-संपादक, लेखक, टीकाकार/आलोचक, संवाददाता, संपादक आदि होते हैं। व्यावसायिक रूप से उनके पास कम से कम कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातक की उपाधि के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा/स्नातक की उपाधि और इन पदों के पात्र होने के लिए कुछ अनुभव होता है। अधिकारी संवर्ग के पदों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली केन्द्रीय सूचना सेवा परीक्षा और भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम सेवा) परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था है। इन पदों पर लागू होने वाले वेतन ग्रेड वे हैं जो कि निम्नलिखित विभिन्न प्रविष्टि स्थितियों पर लागू होने वाले ग्रेड व वेतनमान केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

	रु०	आयु सीमा वर्ष
कनिष्ठ उद्घोषक . .	1400—2300रु०	19—35
सहायक संपादक . .	2000—3500रु०	21—35
उप संपादक (स्प्रिन्टस) .	1400—3500रु०	19—30
सहायक संपादक (अनुवाद) . .	1640—2900रु०	21—40
मॉनीटर (हिन्दी और आई० एल०)	1400—2300रु०	20—35
अनुवादक व उद्घोषक . .	2000—3500रु०	20—35

बैंकिंग उद्योग

सभी बैंकिंग संस्थाओं में बैंकिंग व्यवसाय, कार्यकलापों को राजभाषा नियम और वार्षिक कार्यक्रम के उपबन्धों के अनुसार रखने, पत्र व्यवहार करने और अन्य सहायक कार्यों के लिए अंग्रेजी के साथ ही साथ हिन्दी में करने की व्यवस्था की गई है। बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए और हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए बैंकिंग यूनिटों में प्रबंधक (हिन्दी), उप प्रबंधक (हिन्दी), हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टंककों के नियमित पदों का सृजन किया गया है। हिन्दी अधिकारी और अनुवादक की मूलभूत शैक्षिक योग्यताएं लगभग एक जैसी हैं अर्थात उसके पास हिन्दी या अंग्रेजी में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए या एक अनुवादक के पास

अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए किन्तु हिन्दी अधिकारी का चयन इस प्रयोजन के लिए गठित एक सक्षम बोर्ड द्वारा इस विशिष्ट पद के लिए अनुपयुक्तता के आधार पर किया जाता है ।

1.9.7 हिन्दी टंकक/आशुलिपिक

कर्मचारी चयन आयोग पूरे भारत में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए हिन्दी आशुलिपिकों का चयन करने के लिए परीक्षा लेता है । इस परीक्षा के दो भाग होते हैं : (i) लिखित परीक्षा (ii) हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा । परीक्षा के लिखित भाग में दो प्रश्न-पत्र होते हैं : (i) सामान्य ज्ञान (ii) हिन्दी भाषा। जो उम्मीदवार इन प्रश्नपत्रों में आयोग द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करते हैं, उन्हें हिन्दी आशुलिपि में परीक्षा देनी होती है । हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में किए जाने वाले तीन आज्ञापन (डिक्टेशन) शामिल हैं, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर, दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति और तीसरी 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो कि नीचे बताए गए अनुसार विभिन्न अवधि की होती है :—

क्रम सं०	गति	आज्ञापन की अवधि	हिन्दी में प्रतिलेखन की अवधि
		मिनट	मिनट
(1)	120 शब्द प्रति मिनट . .	7	60
(2)	100 शब्द प्रति मिनट . .	10	65
(3)	80 शब्द प्रति मिनट . .	10	75

आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं :—

(क) आयु : पहली जनवरी को 18–25 वर्ष

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : 10वीं/12वीं पास

(ग) शुल्क : (सामान्य उम्मीदवार) 12 रु० (अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों से 3 रु०)

भूतपूर्व सैनिकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता ।

जो उम्मीदवार अंतिम चयन परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें निम्न-लिखित वेतनमान दिए जाते हैं :—

1. रु० 1640–2900

2. रु० 1400–2300

3. रु० 1200–2040

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में उन उम्मीदवारों में से हिन्दी टंकक भर्ती किए जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिनकी आयु वर्ष की 1 अगस्त को 18–25 वर्ष के बीच हो।

लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं : (i) हिन्दी/अंग्रेजी भाषा; (ii) सामान्य ज्ञान। सफल उम्मीदवारों की 10 मिनट की अवधि की टंकण परीक्षा ली जाएगी। हिन्दी टंकक में लिए अर्हता की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट है ।

1.9.8 जनसंपर्क अधिकारी

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के अधिकांश कार्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी होते हैं । जनसंपर्क अधिकारियों का चयन उन उम्मीदवारों में से किया जाता है जिनके पास अन्य विषयों के साथ हिन्दी भी स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शैक्षिक योग्यता होती है । हिन्दी में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को हिन्दी समाचार पत्र के कार्यालयों, हिन्दी भाषी राज्यों और ऐसी अन्य एजेंसियों और संगठनों में दूसरों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

1.9.9 पुस्तक प्रकाशन

सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी अनेक एजेंसियां हैं, जो कि पाठ्य पुस्तकों, सहायक पुस्तकों, कहानी की किताबों, कार्मिक पुस्तकों और विभिन्न विषय शीर्षकों के आलेख तैयार करने में व्यस्त हैं । इन पुस्तकों को तैयार करने के कार्य के लिए विभिन्न प्रेस कार्यों की आवश्यकता होती है जैसे कि पाठ्य सामग्री कम्पोज करना, मुद्रण की गलतियों को निकालने के लिए पहली और दूसरी प्रतियों की प्रूफ रीडिंग करना जिससे कि पाठ्य

सामग्री को त्रुटि विहिन मुद्रित किया जा सके । ऐसे व्यक्ति जिन्हें हिन्दी की अच्छी जानकारी है वे प्रूफ रीडिंग में 3 वर्ष के अनुभव के साथ एस०एस०सी० अर्हताएं हैं, वे सरकारी कार्यालयों/मुद्रण प्रेसों में 1380–2040 रु० के वेतनमान में प्रूफ रीडर के पद के लिए पात्र होते हैं । निजी मुद्रणालयों में प्रकाशनों के प्रूफों की रीडिंग आदि ठेके के आधार पर की जाती है । इसे ध्यान में रखते हुए प्रूफ रीडर अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार कितनी भी राशि अर्जित कर सकता है ।

1.9.10 स्व-रोजगार (वकील)

हाल ही में स्वनियोजित व्यवसायों में हिन्दी आधारित कार्मिकों के लिए व्यवसायों के अवसर उपलब्ध हुए हैं और हो रहे हैं । हिन्दी भाषी राज्यों में निचले न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों ने मुकदमे के मसौदे तैयार करने, वाद-विवाद करने और निर्णय प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए हिन्दी में कार्य प्रारंभ कर दिया है । हिन्दी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में न्यायालय की भाषा घोषित किया गया है । इसलिए वे व्यक्ति, जिन्होंने हिन्दी माध्यम से विधि में डिग्री प्राप्त की है, उनके लिए इन राज्यों में और अन्य कहीं भी सफलता के उज्ज्वल अवसर उपलब्ध हैं ।

1.9.11 पर्यटन

उत्तर भारत के राज्यों में पर्यटन विभाग और केन्द्र में भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) यात्रियों की दिलचस्पी के अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है । देशी यात्रियों को ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि और भ्रमण किए जाने वाले स्थानों की धार्मिक पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को समझाने के लिए हिन्दी भाषा यात्री गाइडों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है । यात्रियों के लिए हिन्दी गाइडों को बहुत बड़ी संख्या में सफलतापूर्वक नियुक्त किया जाता है । वे अपनी सेवाओं के लिए बहुत अच्छी आय प्राप्त करते हैं ।

1.9.12 अन्य विविध अवसर

मौजूदा और वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, कि उनके लिए परिस्थितियां काफी

अनुकूल हैं। प्रूफ रीडर और कम्पोजिटर ठेके के आधार पर कार्य कर सकते हैं। हिन्दी टाइपिस्ट हिन्दी टाइपराइटर खरीद सकता है और पृष्ठ के आधार पर हिन्दी में निजी टाइपिंग कार्य कर सकता है।

जो लेखक हिन्दी में बहुत अच्छी पुस्तकें, पैम्पलेट और विवरण पत्र आदि लिख सकते हैं वे अपनी पांडुलिपि के लिए कीमत लेकर और साथ ही साथ अपनी मुद्रित सामग्री की बिक्री पर कुछ प्रतिशत रायल्टी लगाकर अच्छी राशि कमा सकते हैं।

इसी प्रकार हिन्दी में समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के लिए कालम और टिप्पणियां लिखकर भी अच्छी राशि कमाई जा सकती है।

विज्ञापन एजेंसियों के व्यक्ति पारिश्रमिक के बदले में नारे और आकर्षक विज्ञापन लिखते हैं। वे इसके साथ-साथ विभिन्न कंपनियों से नियमित ठेके पर नियमित कार्य भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार अनुदित किए जाने वाले प्रति पृष्ठ या प्रति सौ/हजार शब्द के लिए बहुत अच्छे पारिश्रमिक पर अनेक गैर सरकारी अनुवाद कार्य भी उपलब्ध हैं। यह सुविधा केवल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि किसी भी विदेशी भाषा से हिन्दी में अनुवाद के लिए भी उपलब्ध है, जो कि प्रायः विदेशी मिशनों, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा भुगतान पर कराया जाता है। निपुण लोगों से ही यह कार्य कराया जाना चाहिए।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, लागत और निर्माण कार्य लेखाकार संस्थान और कंपनी सेक्रेटरी संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर लिखने का विकल्प उपलब्ध होने के कारण अनेक प्रार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को ले रहे हैं ऐसे प्रार्थियों का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि उनके पास अपने रिकार्ड हिन्दी में रखने वाली अनेक फर्मों के लेखों के संकलन का व्यापक क्षेत्र है।

विभिन्न संस्थानों में. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (कम्प्यूटर विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने की शुरूआत के साथ ही देश के व्यापक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर बहुत बढ़ गए हैं। निकट भविष्य में इलैक्ट्रानिकी उपकरणों, जैसे कि

कम्प्यूटरों, शब्द संसाधकों और इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटरों और टेलिप्रिंटरों को चलाने के लिए और उन पर हिन्दी में काम करने में सक्षम अनेक प्रशिक्षित प्रचालकों की आवश्यकता होगी ।

इन सबके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली अनेक भर्ती परीक्षाओं के साथ ही अनेक राज्य सरकार की परीक्षाओं में हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । इससे हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाने वालों को अधिक व्यापक विस्तार क्षेत्र प्राप्त हो जाता है ।

1.10 रोजगार संबंधी दृष्टिकोण

चूंकि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है अतः इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है । यह बता देना उपयुक्त होगा कि भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हैं ।

केवल उन्हे छोड़कर जिनका स्वरूप पूर्णतया तकनीकी अथवा कृषि से संबंधित है, सभी कालेजों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियमित हिन्दी अध्यापक हैं ।

हिन्दी प्रमुख राज्यों में दिन-प्रतिदिन में सरकारी टिप्पणी, टाइप-राइटिंग, पत्राचार और अन्य सरकारी काम काज में हिन्दी के अनिवार्य प्रयोग की व्यवस्था है ।

अतः हिन्दी कार्मिकों के लिए भविष्य में रोजगार की बहुत अधिक व्यापक संभावनाएं हैं । बड़ी और मध्यम प्रकार की औद्योगिक स्थापनाओं में कर्मकारों के साथ व्यवहार में हिन्दी का ही प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिसके लिए हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ।

परिशिष्ट 'क'

भारत सरकार की हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण परीक्षा योजना के संबंध में वर्ष 1984–88 के दौरान हुई प्रगति का वर्षवार ब्यौरा

सत्र	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या		परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या		परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	
	टंकण	आशुलिपि	टंकण	आशुलिपि	टंकण	आशुलिपि
1984	4932	1019	4293	747	3111	416
1985	5316	949	4505	777	2861	452
1986	6319	933	4325	750	2385	353
1987	5696	982	4752	792	2568	460
1988	5486	1083	4546	871	2950	435

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1984 से 1988 के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं में हुई प्रगति का वर्ष वार ब्यौरा

सत्र	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या			परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या		
	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1984	13324	14967	12246	9698	11090	9721	8264	9182	8036
1985	15727	15617	13252	11368	11220	9602	9274	6753	7980
1986	15382	16636	13924	11255	12125	10027	9630	9535	9216
1987	15503	18140	15311	11485	13338	10559	9501	10187	9863
1988 (मई)	7410	8296	7685	5346	5889	5579	4097	4644	4301

प्रभासमुना—288 डि० जि० ई० एण्ड टी० एन डी/91—4.7-92—20,750

©

PDGET-329 (H)
20750-1992 (DSK-II)

Price : (Inland) *Rs.* 5.00 (Foreign) *£ 0.58 or $ 1 80 Cents.*

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित
तथा प्रकाशन नियंत्रक भारत सरकार, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NASHIK-422 006
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110 054
1992